भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2622 का उत्तर

थावे जंक्शन, बिहार के लिए लंबित परियोजनाएं/प्रस्ताव

2622. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के महानगरों से बाहर स्थित सभी रेलवे स्टेशनों विशेषकर बिहार के थावे जंक्शन पर मूलभूत सुविधाओं का रख रखाव नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे की थावे जंक्शन के लिए दी गई परियोजनाएं/प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जंक्शन के लिए दी गई सभी परियोजनाओं/प्रस्तावों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय क्या है;

(घ) क्या यात्रियों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बावजूद उक्त जंक्शन से रेलगाड़ियां चलाने के प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जंक्शन के लिए लंबित प्रस्ताव/परियोजनाएं क्या हैं;

(ङ) क्या थावे जंक्शन को जोड़ने वाली दोहरी लाइन के संबंध में प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लंबित है और उक्त जंक्शन की लाइन का दोहरीकरण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

SK

(च) उक्त जंक्शन पर लाइन के दोहरीकरण से संबंधित सरकार के पास लंबित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म पर शेड लगाना, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना है।

SK

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से थावे स्टेशन सहित 98 स्टेशन बिहार राज्य में स्थित हैं। बिहार राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम नीचे दिए गए हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
बिहार	(98)	अनुग्रह नारायण रोड, आरा, अररिया कोर्ट, बख्तियारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बड़हिया, बरौनी, बाढ़, बरसोई जंक्शन, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहार शरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज, बक्सर, चकिया, चौसा, छपरा, दलसिंह सराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी-ऑन-सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गौती, एकमा, फतुहा, गया, घोड़ासहन, गुरारू, हाजीपुर जंक्शन, जमालपुर, जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, झंझारपुर, कहलगांव, करागोला रोड, कटिहार, खगड़िया जंक्शन, किशनगंज, कुदरा, लाभा, लहेरिया सराय, लक्खीसराय, लखीमिनिया, मधुबनी, महेश खुंट, मैरवा, मानसी जंक्शन, मशरख, मोकामा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, नबीनगर रोड, नरकटियागंज, नौगछिया, नवादा, पहाड़पुर, पाटलिपुत्र, पटना, पीरो, पीरपैंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेंद्र नगर, राजगीर, राम दयालु नगर, रक्सौल, सबौर, सगौली, सहरसा, साहिबपुर कमल, सकरी, सलौना, सलमारी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर जं., सुल्तानगंज, सुपौल, तरेगना, ठाकुरगंज, थावे

SK

जब किसी स्टेशन का निर्माण किया जाता है, तो प्रत्येक कोटि के स्टेशन पर (अनुमानित यातायात/आय के आधार पर) कुछ न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन्हें न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं कहा जाता है। थावे स्टेशन पर अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन एक सतत् और जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/विकास/पुनर्विकास के लिए कार्यों को स्वीकृति देते और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशन की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत थावे स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए, निविदाएं प्रदान की गई हैं और प्लेटफॉर्मों का विस्तार, प्लेटफॉर्मों की सतह में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग सुविधाएं, पहुंच मार्गों में सुधार आदि संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आबंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल-वार रखे जाते हैं, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार। बिहार राज्य चार क्षेत्रीय रेलों नामतः पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आबंटन 2,166 करोड़ रुपए है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिनमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा जुड़ी होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों

SK

की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

वर्तमान में, थावे जंक्शन को 30 गाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है, जिनमें 06 मेल/एक्सप्रेस सेवाएँ शामिल हैं। इन नियमित सेवाओं के अलावा, 03215/16 थावे-पटना स्पेशल भी उक्त स्टेशन पर सेवा प्रदान कर रही है। इसके अलावा, भारतीय रेल में नई गाड़ी सेवाओं की शुरुआत परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन एक सतत् प्रक्रिया है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक

SK

आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

थावे जंक्शन पहले ही रेल नेटवर्क से भली-भांति जुड़ा हुआ है। बहरहाल, संपर्कता को और बेहतर बनाने के लिए, थावे जंक्शन पर गोपालगंज और सासामूसा रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली 1.1 किलोमीटर लंबी बाईपास लाइन को 9.89 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृति दी गई है।

*****

SK